न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी आई.ए.एस)

प्रकरण सं0 01/2015

दायर दिनांकः–20.04.2015
फैसल दिनांकः–22.06.2016

श्री शंकरलाल पिता भूरा यादव, निवासी करौली, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर
प्रार्थी

बनाम

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत

उपस्थित–1. श्री राजेन्द्र यादव, एडवोकेट प्रार्थी
2. प्रवर्तन निरीक्षक, राजकीय पैरोकार

– निर्णय –

यह अपील प्रार्थी ने विरूद्ध विपक्षी के इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी की ग्राम करौली में उचित मूल्य की दुकान हैं जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 12/1990 हैं। जिला रसद अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जांच दल तृतीय जिला डूंगरपुर ने उक्त उचित मूल्य की दुकान की दिनांक 10.08.2014 को जांच के दौरान पायी गई अनियमितता के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से असंतुष्ट होकर विपक्षी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2015 को अपास्त कराने हेतु पेश की हैं।

प्रकरण संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि विपक्षी द्वारा ग्राम करोली की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 12/1990 निर्णय दिनांक 02.02.2015 में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 6 तक के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाने के संदर्भ में कथन किया है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने से वक्त निरीक्षण प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया। उचित मूल्य की उक्त दुकान पर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड प्रदर्शित किया गया था किन्तु वर्षा के कारण मीट गया। चीनी स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 3.15 क्विं. का वितरण करना जबकि वितरण अनुसार दिनांक 31.07.2014 को 1.41 क्विं. चीनी का वितरण करना पाया गया। इस प्रकार 2.10 क्विं. चीनी का फर्जी इन्द्राज करने, वितरण रजिस्टर में चीनी के मूल्य व मात्रा का अंकन नहीं करना, गेहूँ के भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर की तुलना में 6.50 क्विं.गेहूँ कम पाया जाना तथा केरोसीन वितरण रजिस्टर वक्त निरीक्षण मौके पर उपलब्ध नहीं कराने बाबत उचित जवाब प्रस्तुत करना अपील अंकित किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा यह कथन भी किया है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद दुकान खोली जाती है, ताकि राशनधारियों को राशन सामग्री प्राप्त करने वापस नहीं जाना पड़े। सरदर्द, उल्टी, घबराहट व दस्त आदि के लिये

हॉस्पीटल जाकर पर्ची बनाकर दवाईयां लेना आवश्यक नहीं होकर इस हेतु मेडिकल स्टोर से भी दवाईयां मंगवाकर ली जाना प्रार्थी ने बताया है। उचित मूल्य की दुकान की अनियमितता बाबत कोई शिकायत नहीं की गई है। उचित मूल्य की दुकान के निरीक्षण के वक्त मौके पर रखे गेहूँ का किसी प्रकार से न तो तोल किया एवं न ही चीनी वितरण के कूपन की जांच की गई। निरीक्षणकर्ता द्वारा मात्र अनियमितता मानते हुए कार्यवाही की जाना विधि विरूद्व हैं। निरीक्षण दल ने उक्त उचित मूल्य की दुकान के अन्तर्गत आने वाले राशन कार्डधारी से अनियमिता बाबत पुछताछ नहीं की है तथा जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा अपीलान्ट को न तो साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया एवं अपीलान्ट को सुने बिना ही आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2015 अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया जिसकी सूचना उनको 23.02.2015 को पत्र जारी कर दी गई एवं अपीलान्ट द्वारा सम्पूर्ण नकल दिनांक 23.02.2015 को प्राप्त होने से अपील समयावधि में प्रस्तुत करना बताया हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 12/1990 के निरस्ती आदेश दिनांक 02.02.2015 को अपास्त करने का अनुरोध किया।

अपीलार्थी की अपील समयावधि में मानते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में विपक्षी की ओर से उनके विभागीय पेरोकार प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय पेरोकार द्वारा विवेचित अपील में जवाब प्रस्तुत नहीं कर उनका पक्ष बहस में व्यक्त करने का निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं विभागीय पेरोकार की बहस समायत की गई। वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई।

हमारे द्वारा पक्षकार की बहस पर मनन किया गया तथा अपील एवं उसके संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी की ग्राम करोली की उचित मूल्य की दुकान जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 12/1990 है, उसकी प्रभारी अधिकारी जांच दल तृतीय जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर द्वारा दिनांक 10.08.2014 को निरीक्षण किया गया। अपीलार्थी ने निरीक्षण के वक्त कन्ट्रोल का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर मूल्य व स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 31.07.2014 को 3.51 क्वि.चीनी अपीलार्थी द्वारा वितरण करना अंकित किया है, जबकि चीनी वितरण रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.07.2014 को 1.41 क्वि. चीनी का वितरण करना पाया गया। अर्थात् दुकानदार अपीलार्थी द्वारा 2.10 क्वि. चीनी का फर्जी वितरण करना पाया गया हैं। वितरण रजिस्टर में अपीलार्थी द्वारा चीनी के मूल्य व मात्रा का अंकन नहीं किया गया। उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण के वक्त भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर के

मुताबिक 11.50 क्विं गेहूँ होना चाहिए था किन्तु मौके पर 5.00 क्विं गेहूँ पाया गया। इस प्रकार कुल 6.50 क्विं गेहूँ मौके पर कम पाया गया। उक्त दुकान के निरीक्षण के वक्त अपीलार्थी द्वारा केरोसीन वितरण रजिस्टर मौके पर प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता पायी जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, 11 एवं मूल खण्ड 6 की स्पष्ट अवहेलना करने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 14.08.2016 द्वारा अग्रीम आदेश तक निलम्बित किया गया। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर ने प्रकरण संख्या 36/2014 दर्ज कर बाद सुनवाई अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उक्त अनियमितता के आधार पर दिनांक 02.02.2015 को निरस्त किया गया।

अपीलार्थी ने अपील में प्रकट किये गये तथ्य एवं बहस के दौरान बताया कि अपीलार्थी उचित मूल्य की दुकान के निरीक्षण के वक्त बीमार था जिससे वह प्राधिकार पत्र एवं केरोसीन वितरण का रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये जा सके। वकील अपीलार्थी ने यह भी बताया कि राशन दुकान में गेहूँ मौके पर पडे हुए थे जिसे निरीक्षणकर्ता द्वारा तोला नही गया तथा चीनी वितरण के कूपन की भी जांच नहीं की गयी । अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के अन्तर्गत किसी भी राशनधारी द्वारा कोई शिकायत नहीं की है तथा अपीलार्थी द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता न करने से उनके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। वकील अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी बीमार था, किन्तु उनके द्वारा अस्पताल में जाकर ईलाज नहीं कर दवाईयों की दुकान से दवाई मंगवा कर ली गई थी। अपीलार्थी वकील ने बहस में बताया कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट के उनके कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण में न तो साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया एवं न ही उनकी उपस्थिति में कोई कार्यवाही गई एवं अपीलान्ट का पक्ष सुने बिना आदेश जारी करना विधि विरूद्ध हैं।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्य एवं बहस के दौरान बताये गये उक्त तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह माना जावें कि अपीलार्थी बीमार था। अपीलार्थी द्वारा अपील में भी स्पष्ट किया है कि वह बीमार स्थिति में भी राशन दुकान खोलकर खाद्यान्न वितरण कर रहा है जिससे राशनधारियों को खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु वापस नहीं आना पड़े। उचित मूल्य की दुकान के केरोसीन वितरण स्टॉक रजिस्टर बीमार होने से उपलब्ध नहीं कराना प्रमाणित नहीं होता हैं। अपीलार्थी एक ओर बीमार होकर दुकान संचालित करना एवं दस्तावेज/रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने हेतु बीमारी का सहारा लेना मात्र बहाना होकर प्रमाण के अभाव में तथ्य झुठे पाये पाये गये तथा उक्त 6.50 क्विं. गेहूँ, 2.10 क्विं.चीनी का फर्जी इन्द्राज करना व केरोसीन का स्टॉक रजिस्टर न देने की अनियमितता को छुपाने हेतु आधारहिन, बनावटी बीमारी के तथ्यों को प्रकट करता हैं। अपीलार्थी द्वारा

राशन दुकान अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता नहीं करने बाबत कुछ लोगों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिन पर विश्वास किया जाना सही नहीं है, चूंकि मौके पर निरीक्षण के वक्त रेकार्डेड स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर की तुलना करने पर 6.50 क्विं गेहूँ, 2.10 क्वि. चीनी कम पाई गयी एवं केरोसीन का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराना अपीलार्थी की नियत में केरोसीन के साथ कम पायी गई चीनी 210 क्वि. व गेहूँ 6.50 क्विं. खाद्यान्न की कालाबाजारी की मंशा को दर्शाता हैं। जहां तक अपीलार्थी ने जिला रसद कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण में साक्ष्य हेतु मौका नहीं देना व बीना सुने उनकी अनुपस्थिति में निर्णय करने के तथ्य भी अपीलार्थी के सत्य नहीं हैं। अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर विचाराधीन मामले में जवाब प्रस्तुत किया हैं तब उनके साथ अपने बचाव हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते थे। अपीलार्थी का मात्र यह कह देना इस प्रकरण में बचाव का पर्याप्त आधार नही हैं। विभागीय पेरोकार ने भी स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर में जांच के दौरान अनियमितता पाई जाना अपीलार्थी की खाद्यान्न सामग्री की कालाबाजारी की मानसिकता को पकट करना एवं नियम विरूद्ध होने से जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 12/1990 निरस्ती के निर्णय को उचित होने के तथ्य की पुष्टि करता हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारीज की जाती हैं। ग्राम करोली की उचित मूल्य की दुकान जिसकी प्राधिकार पत्र संख्या 12/1990 के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 36/2014 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 02.02.2015 को यथावत रखा जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2016 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर